न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला – उदयपुर

बजरिये श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. *16* / 2016

उनवान

1. श्री थावरा पिता होमा मीणा, निवासी–डायली, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर।
2. श्री देवा पिता होमा मीणा, निवासी–डायली, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर।
3. श्री लीम्बा पिता होमा मीणा, निवासी–डायली, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर।
4. लसु पिता होमा मीणा, निवासी–डायली, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री धुला पिता खेमा मीणा, निवासी–डायली, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर।
2. श्री शंकर पिता देवा मीणा निवासी–डायली, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सराडा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

::: निर्णय :::

दिनांकः 29.11..2019

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र चौबीसा अभिभाषक प्रार्थीगण।

संक्षेपतः प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा डायली पटवार हल्का थाणा तहसील सराडा आराजी नं व रकबा 1666 / 0.13, 1672 / 0.12, 1673 / 0.03 कुल किता 03 कुल रकबा 0.28 हेक्टेयर होकर प्रार्थीगण के आधिपत्य, कब्जे काश्त की होकर उक्त कुलिया भूमि पर प्रार्थीगण ही अपने पिताजी होमा पिता दौला मीणा के जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, व उक्त आराजीयात कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के निवासरत पक्के व कच्चे मकान बने हूये होकर प्रार्थीगण ही निवासरत है व प्रार्थीगण ने अपने नाम से विद्युत मीटर कनेक्शन भी ले रखे हैं व वादग्रस्त आराजीयात को प्रार्थीगण ने काफी खर्चा कर उपजाउ व कृषि योग्य बनाया है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि का विपक्षी सं. 01 के पिताजी व विपक्षी सं. 02 के दादाजी स्व. खेमा पिता केवाजी ने फर्जी तरीके से दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

27.11.1980 को पंजीकृत विक्रय पत्र अपने नाम पर निष्पादित करा कर उक्त भूमि को अपने नाम पर करा दिया परन्तु कभी भी उक्त विवादित आराजीयात पर विपक्षीगण व उनके पूर्वजों ने कभी कब्जा प्राप्त नहीं किया है, और न ही कभी कब्जा प्राप्त करने की कोशिश की। दिनांक 13.06.2016 को विपक्षी सं. 01 व 02 ने प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि उक्त भूमि उनके खाते दर्ज है, उक्त भूमि को खाली कर देना, वरना जबरदस्ती उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे। इसलिए प्रार्थी ने दावा पेश किया, तथा विपक्षीगण को वादनिस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा विवादित आराजी के रहन बेचान ना करने तथा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री हरजीलाल मीणा उपस्थित हुए। दिनांक 27.11.2019 को ना तो विपक्षीगण स्वयं उपस्थित हुए और ना ही अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतः विपक्षी सं. 01 व 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाकर प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया। दावों/प्रार्थनापत्रों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजी की मौके की एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को पाबन्द किया जावे।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रार्थी एवं विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि मौजा डायली पटवार हल्का थाणा तहसील सराडा आराजी नं व रकबा 1666/0.13, 1672/0.12, 1673/0.03 कुल किता 03 कुल रकबा 0.28 हेक्टेयर आराजी में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण वादग्रस्त उक्त आराजी में मौके की यथास्थिति एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल दावे के निस्तारण तक बनायें रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेशचन्द धाकड)
उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा (उदयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला (उदयपुर) राज.

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा जिला-उदयपुर

29/11/19

पत्रा. पेश हुई। अधिवक्ता जाखी उप.। प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता जाखी की एकतरफा बहस पूर्व पेशी तारीख पर सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा। जाकर शामिल पत्रा. किया गया। पत्रा. फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला-उदयपुर (राज.)